"Income From Other Source"

आयकर अधिनियम के अन्तर्गत वे सभी आय जो धारा 14 में दिए गए 4 शीर्षकों में नहीं आती है, को Other Source की आय कहा जाता है। धारा 56 (2) के अन्तर्गत निम्न आय इस शीर्षक में कर योग्य है।

1. लाभांश
2. लॉटरी का इनाम वर्ग पहेलियाँ, घुड़दौड़, ताश, जुआ, शर्त आदि से प्राप्त आय।
3. रॉयल्टी से आय, आदि इस पर कुछ खर्च किए गए हो तो उसे घटा लेना चाहिए।
4. प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज (यदि यह आय व्यापार अथवा पेशे शीर्षक में कर योग्य न हो।
5. करदाता द्वारा अपनी मशीन प्लान्ट, फर्नीचर को किराए पर उनमें हुई वह आय जो व्यापार अथवा पेशे शीर्षकों में करयोग्य न हो ।
6. विदेशी प्रतिभूतियों पर प्राप्त ब्याज से आय इसे
7. सहकारी समिति के प्रतिभूतियों पर ब्याज से आय इसे Gross में नहीं किया जाता ह।
8. आय कही जाकर सलाह देने से आय, किसी विश्वविद्यालय में ..... देने से आसय, किसी परीक्षा में परीक्षक बनने से आय, परीक्षा की कॉपी देखने से प्राप्त आय, Viva Voice से प्राप्त आय ।
9. किसी होटल में
10. संचालक शुल्क से प्राप्त आय ।
11. भारत में स्थित कृषि भूमि से प्राप्त आय पूर्णत: करमुक्त होता है, परन्तु कृषि भूमि के अतिरिक्त यदि कोई दूसरी भूमि से आय प्राप्त होती है, तो वैसी आय Other Source की आय मानी जाती है।
12. संसद सदस्य (M.P.) या विधायक (M.L.A.) का वेतन, परन्तु यदि इसे कोई भत्ता प्राप्त होता है, तो वह धारा 10 (17) में पूर्णत: करमुक्त होगा ।
13. यदि संचालक को वेतन प्राप्त होता है, तो यह वेतन शीर्षक में करना होता है, परन्तु वही पर प्रबंध संचालक को वेतन प्राप्त होता है तो Other Source की आय मानी जाती है।
14. Keyman बीमा पॉलिसी से पाप्त राशि (बोनस सहित) यदि व्यय पेशे या वेतन शीर्षक में कर योग्य न हो ।
15. Interest on Bank Deposits, Interest on loan ।
16. किराएदार द्वारा किराए पर ली मकान सम्पत्ति को पूर्णतया या आंशिक रूप से किराए पर उउठाने से होने वाली आय ।
17. किसी वसीयत के अन्तर्गत मिली हुई कोई वार्षिकी (इसमें वह वार्षिकी शामिल नहीं होगी जो एक कर्मचारी को अपने नियोक्ता से प्राप्त हो)

18. हाट बाजार या मछली क्षेत्र से आय।

19. किसी अस्पष्ट साधन से आय, जैसे बिना स्पष्ट किए नकद साख पुस्तकों में बिना लिखे विनियोग, पुस्तकों में बिना लिखे धन ।

20. अप्रकाशित P.F. में कर्मचारी के अंशदान पर ब्याज ।

21. सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश ।

22. व्यापार-चिन्ह को किराए पर उठाने से लाभ ।

23. एक नयी कम्पनी के अंशों का अभिगोपन करने से, प्रतिफल के रूप में उसके संचालक द्वारा प्राप्त कमीशन ।

24. मृतक कर्मचारी की विधवा अथवा उसके उत्तराधिकारी द्वारा प्राप्त पेंशन परन्तु U.N.O. के किसी कर्मचारी की विधवा को प्राप्त पेंशन कर मुक्त है।

25. भारत के लिए खेलने के लिए चुने गए क्रिकेट खिलाड़ियों की आय

a) भारत में खेले गए Test मैचों के संबंध मं :-

क्रिकेट कन्ट्रोल बोर्ड से प्राप्त आय में से 75% उचित व्यय के लिए घटाकर बची हुई आय कर योग्य होगी ।

b) भारत में खेले गए अन्य मैचों के संबंध में साधारणतया बोर्ड से प्राप्त सम्पूर्ण आय करमुक्त होती है।

c) भारत के बाहर खेले गए मैचों के संबंध में प्राप्त आय का 50% व्यय के रूप में घटाकर शेष आय कर योग्य होगी ।

"DIVIDEND" (लाभांश)

लाभांश निम्न प्रकार के होते हैं, परन्तु यह प्रश्न उठाता है, कि लाभांश की आय किसी गत वर्ष की आय मानी जाएगी ।

i) Normal Dividend or Final Dividend (सामान्य या अंतिम लाभांश) :-
Final Dividend की आय उस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस गत वर्ष में वह कम्पनी द्वारा घोषित किया गया हो ।

i) Interim Dividend (अंतरिम लाभांश) :- किसी वर्ष की लाभांश वार्षिक साधारण सभा से पूर्व कम्पनी द्वारा जो लाभंश घोषित किया जाता है।

उसे अंतरिम लाभांश कहते हैं। अंतरिम लाभांश उसस गत वर्ष की आय मानी जाएगी जिस वर्ष में कम्पनी ने इसका भुगतान किया हो ।

iii) Deemed Dividend (माना गया लाभांश) :- धारा 2 (22) के अन्तर्गत माना गया लाभांश उस गत वर्ष की आय मानी जाती है जिस गत वर्ष में उसका भुगतान हुआ है।

Note :-

i) यदि भारतीय कंपनी से या घरेलु कंपनी के अंशों से लाभांश प्राप्त हो तो वह धारा

10 (33) के अन्तर्गत पूर्णत: करमुक्त है।

ii) यदि U.T.I. के Units से कोई आय प्राप्त होती है, तो वह भी धारा 10 (33) के अन्तर्गत पूर्णत: करमुक्त है।

iii) सहकारी समिति से प्राप्त लाभांश पूर्णत: करयोग्य होता है इसे Gross-up नहीं किया जाता है। लेकिन यदि ऐसे लाभांश पर दोहरे करारोपण से छूट की मांग करता है, तो इसे Gross up किया जा सकता है अर्थात् Gross Dividend आय में शामिल किया जाएगा ।

Note II :-

निम्न को Gross up नहीं करेंगे :-

a) Interest from foreign Government Securities.
b) Interest from Cooperative Society.
c) Interest from National Developments Bond.
d) Interest Received by A/C Payee Cheque upto Rs. 2500.
e) Interest on National Saving Certificate (IV issue)
f) Interest from Government Securities.
g) Interest on Deposits with a firm (up to & 5000)

Note III :-

a) लॉटरी, ताश, जुआ, शर्त्त आदि से प्राप्त आय हो तो उस पर 30% की दर से आयकर लगता है, तथा 2% की दर से आयकर पर Surcharge लगता है।

b) दौड़, घुड़दौड़ आदि की आय पर 30.% की दर से आयकर लगता है। ऐसी आय पर 25% की दर से सरचार्ज लगता है।

c) ऐसी आकस्मिक आय को Gross up करने का निम्ननियम है :-

$$\text{Gross up} - \frac{\text{Received amount} \times 100}{70}$$